

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग-११०३

दिनांक : 19.06.2023

क्रमांक : प्र.गा.स./2023/

निर्णय:-

प्रार्थी श्री जिम्मुद आलम पुत्र/पुत्री/पत्नी जगतलाल
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लोहसना बडा पटवार मण्डल लोहसना बडा
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् २०७०-७१ के खाता संख्या २५७ में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति मिराकाम गज्जू पुज्ज म.दाद अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से जगतलाल पुज्ज म.दादराम अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का लोहसना बडा से करवाने पर पटवारी ने गज्जू पुज्ज म.दाद के
बजाय जगतलाल पुज्ज म.दादराम करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में गज्जू पुज्ज म.दाद
के बजाय जगतलाल पुज्ज म.दादराम करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम लोहसना बडा
के खाता संख्या २५७ में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति गज्जू पुज्ज म.दाद
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से जगतलाल पुज्ज म.दादराम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें:


उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

